

1[प्ररूप सं. 10झझ

[नियम 2घघ की अधिनियम (3) देखें]

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड (23चच) के अधीन लेखाकार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र]

मैं/हम _____ लेखा बही, यदि कोई और अन्य दस्तावेजों, प्ररूप सं. 10झझ में वार्षिक विवरण सहित, पूंजीगत, लाभ की प्रकृति की आय के विवरण दर्शाते हुए अर्जित या प्राप्त _____ (निर्दिष्ट निधि का नाम) द्वारा भारत में निवासी कंपनी के शेयर के हस्तांतरण के कारण निर्दिष्ट निधि द्वारा अनिवासी द्वारा अधिकृत इकाइयों के कारण सीमा तक (भारत में आदिवासी स्थायी स्थापन नहीं होते हुए) अनिनियम की धारा 10 के खंड (23चच) के अधीन छूट प्राप्त तथा कुल आय में छूट उक्त खंड के अधीन वर्ष के लिए _____ जो कि _____।

2. मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/हैं कि उपर्युक्त दिए गए विवरण मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है।

स्थान _____

हस्ताक्षर और लेखाकार का नाम

तारीख _____

निर्देश :

- (1) जहां निर्दिष्ट निधि कई जारी योजनाएं हो, निर्दिष्ट निधि अलग से प्ररूप सं. 10झझ में आय में छूट का वार्षिक विवरण प्रत्येक स्कीम के लिए प्रस्तुत करेगा; और
- (2) समस्त राशि को भारतीय रु में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।]

1. आय-कर (चौतीसवां संशोधन) नियम, 2021 द्वारा **27.12.2021** से अंतस्थापित।